न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री बलदेवसिह हाडा

अपील संख्या 289/14

तारीख रजू– 15/10/2014

अहमद पुत्र मुखत्यार अदमद जाति मुसलमान निवासी उदेईकलां तहसील गंगापुरसिटी। ———अपीलार्थी

बनाम

1– नाहिर पुत्र नियाज अहमद जाति मुसलमान निवासी उदेईकलां तहसील गंगापुरसिटी।
2– सरकार जरिये तहसीलदार,गंगापुरसिटी।

——— रेस्पो0

निर्णय

दिनांक– 20/10/15

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार,गंगापुरसिटी द्वारा मिसल संख्या 54/14 मे पारित आदेश दिनांक 20/08/2014 जिसमे पटवारी हल्का उदेईकलां ब ने रेस्पो0 संख्या 1 के विरूद्व ग्राम उदेईकलां ब के आराजी खसरा नम्बर 3373 रकबा 0.07 हैक्टर भूमि किस्म गै0मु0रास्ता (तलाई) पर संवत 2071 खरीफ मे पुनः नाली डालकर कब्जा करने की अतिचार की रिपोर्ट पर अदालत मातहत ने रेस्पो0 संख्या 1 के विरूद्व धारा 91 के तहत की जाने वाली कार्यवाही को ड्राप किया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा अपीलाधीन आदेश संबंधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से श्री दयाल त्रिवेदी अधिवक्ता व रेस्पो0 संख्या 2 की ओर से राजकीय पेरोकार उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यो का हवाला देते हुए बहस मे तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय खिलाफ कानून व रूएदाद मिसल होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। विद्वान वकील अपीलार्थी ने बहस मे यह भी तर्क दिया कि अदालत मातहत ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया है पटवारी हल्का की रेस्पो0 संख्या 1 के विरूद्व गै0मु0रास्ता पर अतिक्रमण की नहीं अतिचार की रिपोर्ट है। विद्वान वकील अपीलार्थी ने बहस मे यह भी तर्क दिया कि रेस्पो0 संख्या 1 ने अदालत मातहत के समक्ष अतिक्रमित आराजी पर कब्जा नही होने का झूठा शपथ पत्र पेश किया है रेस्पो. संख्या 1 का आज भी अतिक्रमित आराजी पर कब्जा है परन्तु अदालत मातहत ने गिरदावर हल्का की मिथ्या रिपोर्ट पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है। विद्वान वकील अपीलार्थी ने बहस मे यह भी तर्क दिया कि पटवारी हल्का की रेस्पो. संख्या 1 के विरूद्व अतिचार की रिपोर्ट पर रेस्पो0 संख्या 1 को अदालत मातहत ने प्रकरण दर्ज कर धारा 91 का नोटिस जारी किया है इस प्रकार अतिचारी का अतिचारित भूमि पर अतिक्रमण होने के बावजूद भी अदालत मातहत ने रेस्पो0 संख्या 1 के विरूद्व दिनांक 20/08/14 को धारा 91 की कार्यवाही ड्राप की है जिसके कारण भी अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अदालत मातहत का अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाया जावें।

विद्वान वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस मे तर्क दिया कि अपीलार्थी को अदालत मातहत के निर्णय के विरूद्व अपील पेश करने का अधिकार नही है क्योकि वे न तो पूर्व मे पक्षकार थे ओर ना ही अपीलार्थी ने सेक्शन 96 का प्रार्थनापत्र अपील के साथ पेश किया है। विद्वान रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस मे यह भी तर्क दिया कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर अदालत मातहत ने अतिचारित रकवे की भू–अभिलेख निरीक्षक ने जॉच करवायी है जिसमे भू–अभिलेख निरीक्षक ने अदालत मातहत के समक्ष जो रिपोर्ट पेश की है उसमे रेस्पो0 का अतिचार नही होना बताया है व अतिचारित भूमि पर मनरेगा के तहत कार्य होना बताया है तथा तलाई बनाई जाना बताया है जिसमे पानी भरा रहता है। तलाई से पानी निकालने के लिए पाईप किसने डाले ओर किसने नही डाले इसका कोई उल्लेख अपनी रिपोर्ट

अति. जिला कलेक्टर
सवाईमाधोपुर

भू–अभिलेख निरीक्षक ने नही किया है तथा तलाई से पानी लेना अतिक्रमण नही है तथा धारा 91 का केस नही बनता है। अदालत मातहत ने जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है वह वाद जॉच सही पारित किया है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जाकर अदालत मातहत का निर्णय यथावत रखा जावें।

वकील उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा अपीलाधीन निर्णय से संबंधित पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि अदालत मातहत के समक्ष रेस्पो0 संख्या 1 के विरूद्व अतिचार की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अदालत मातहत द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 को धारा 91 का नियत दिनांक 04/08/14 का नोटिस जारी किया है जिसपर रेस्पो0 संख्या 1 की प्रोपर तामील हुई है व रेस्पो0 संख्या 1 ने नियत दिनांक 04/08/14 को अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित होकर नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया है जिसमे उसने उल्लेख किया है कि रेस्पो0 का अतिचारित भूमि पर कोई कब्जा नही है अतिचारित भूमि पर जो गढढे हुए है वह नरेगा के तहत सडक बनवाने से तथा ओवरफ्लो हुए पानी के कारण हुए है। रेस्पो0 के नोटिस के जवाब पर अदालत मातहत ने पत्रांक 1453 दिनांक 04/08/14 से भू–अभिलेख निरीक्षक से वस्तुस्थिति की रिपोर्ट मांगी है कि अतिचारित भूमि पर अतिक्रमी द्वारा अतिक्रमण किया गया है अथवा नरेगा के तहत सडक बनवाने एंव ओवरफ्लो हुए पानी से गढढे हुए है। इस पर भू–अभिलेख निरीक्षक ने 19/08/14 को अतिक्रमित आराजी का मोका उपस्थित मोतवीरान के समक्ष देखा है जिसमे उपस्थित मोतवीरान ने बताया है कि कुछ वर्षो पूर्व नरेगा के तहत कार्य हुआ था जिसमे मिटटी खुदाई से गढढे हो गये जिसको बाद मे गहरा करके तलाई बनादी थी। मोके पर इसमे पानी भरा हुआ है तथा भरे पानी का उपयोग का सायल द्वारा नही किया जा रहा है वरन ग्रामवासियो के मवेसियो को जंगल मे जाते वक्त पानी पीने के काम मे आता है। रिपोर्ट मे यह भी बताया गया है कि तलाई मे बाहर की ओर से नाली बनाकर एवं पाईप डालकर पुनः अतिक्रमण का प्रयास करना प्रतीत होता है परन्तु इस तथ्य का उल्लेख उक्त रिपोर्ट मे नही किया है कि नाली बनाकर व पाईप डालकर पुनः अतिक्रमण किसके द्वारा किया गया है किसी भी व्यक्ति के नाम का कोई उल्लेख नही है। उक्त रिपोर्ट से यह भलीभाति जाहिर हो रहा है कि रेस्पो0 संख्या 1 का अतिचारित भूमि पर किसी प्रकार का अतिचार नही है व अदालत मातहत ने भी पटवारी हल्का द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 के विरूद्व की गई अतिचार की रिपोर्ट पर भू–अभिलेख निरीक्षक से जॉच करवायी गई है तथा वाद में रेस्पो0 संख्या 1 का कोई अतिचार नही होने पर ही रेस्पो0 संख्या 1 के विरूद्व धारा 91 की की जाने वाली कार्यवाही को ड्रोप किया है जिसमे किसी प्रकार की अनियमितता व अवैधानिकता नजर नही आता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाकर अदालत मातहत का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20/08/14 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20/10/2015 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(बलदेवसिंह हाडा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर